

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुंबई 80/17 तारीख 27 नू 7-7-17

उपनाम - रामो ल बनाम अमर सिंह वगैरे  
मोहनपुरा


दावा बाबत डी. ए. ए. व डुकुली हिस्साकसी

पाकी की ओर से श्री राम मोरसी मुत्ता एडवोकेट ने दावा  
बाबत डी. ए. ए. व डुकुली हिस्साकसी पेश किया।  
जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर  
कर प्रोत्पादीगण को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक  
30.7.17 को पेश हो।

3797-3806  
7-7-17

  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

12 वादी वकील उपो/प्रतिवादी नं. 1, 10 काफजूद सूचा उपो  
नही हैं। प्रतिवादी नं. 7, 8, 9 ने सम्मन प्राप्त कले लेइका  
किया हैं। इनकी तामील मानी जाती हैं प्रतिवादी नं. 1, 7,  
8, 9, 10 के विरुद्ध एक पक्षीप कायवाली की जाती हैं। प्रतिवादी  
नं. 2, ता. 6 के सम्मन हाइम तामील जात डुर हैं। वादी  
वकील इनके सम्मन तलवाना पुनः पेश के/वास्ते तलबी  
30.11.17 को पेश हो।

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम

वादी वकील उपो/प्रतिवादी नं. 2 ता. 6 के सम्मन तलवाना  
करें/डि 6.11.17 को पेश हो।

वादी वकील उपो/प्रतिवादी नं. 2 ता. 6 के सम्मन तलवाना  
करें की हिदायत की/वास्ते तलबी डि 10.11.17 को  
पेश हो।

5820-24  
9-11-17



405  
360

31  
60

1/4

+1/4

+90+6

दिनांक

फर्द अहकाम

8 5  
24

पत्तापत्ती पेश हुई। वाडी वकील उपस्थित  
वाले सशोकित अधिकार गार पेशी घट पेश  
मिमा वाले जवाब दिनांक 6.6.24 को पेश

डा/क

6-6-24

पत्तापत्ती पेश हुई। वाडी एवं वाडी वकील कोही  
उपस्थित नहीं। वाट 2 भावाजि लिखाई गई। इसके  
उपरांत भी कोही उपस्थित नहीं हुआ इसके  
द्वारा पत्तापत्ती वाडी की भद्रम पेशी भद्रम  
डाफिनी में रखाजि की जाती है। पत्तापत्ती  
केवल शुद्धांत से कम कर शक्ति

उपर है।  
डा/क